(69)

।। श्री ।।

निगरानी प्रकरण क्रमांक ..../2019

प्रस्तुती दिनांक ...../......./2019

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर

म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

निगरानी-0361/2019/इंदौर/भू०रा०

1. शेख मो. सलीम पिता शेख मो. युनुस,
2. शेख मो. इमरान पिता शेख मो. युनुस,

दोनो निवासीः- 5/1, नंदलालपुरा, इन्दौर (म.प्र.)

............प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
   जिला इन्दौर (म.प्र.)
   प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,
   जिला इन्दौर (म.प्र.)
2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
   डॉ. अम्बेडकर नगर, तहसील महू,
   जिला इन्दौर, (म.प्र.)
3. मध्यप्रदेश शासन तर्फे तहसीलदार,
   टप्पा सिमरोल, तहसील महू,
   जिला इन्दौर (म.प्र.)
4. शंकर पिता श्री शोभाराम,
   निवासीः- शिव नगर, तहसील महू,
   जिला इन्दौर, (म.प्र.)
5. निहालसिंह पिता श्री रुगनाथ,
   निवासीः- ग्राम चिखली, तहसील महू,
   जिला इन्दौर (म.प्र.)

श्री .... द्वारा आज दि. 07.3.19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 02.4.19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

अविरत.........(2)

6. मेघाजी पिता श्री गणेशजी कीर,
निवासीः– ग्राम चिखली, तहसील महू,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

7. कैलाश एवं सुधीर पिता श्री रतन काछी,
निवासीः– ग्राम चिखली, तहसील महू,
जिला इन्दौर (म.प्र.) ....प्रतिप्रार्थीगण

// निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत //

श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 0185/अ/2018–19 में दिनांक 06/03/2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

// प्रकरण के तथ्य //

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि, ग्राम चिखली, टप्पा सिमरोल, तहसील महू, जिला इन्दौर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 43 की निजी भूमि वर्ष 1944–45 के पूर्व से स्थित रही है। उक्त भूमि के संबंध में मध्यप्रदेश अधिकतम कृषि जोत सीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण चलाया गया तथा अतिशेष भूमि विभिन्न लोगों को भूमिस्वामी अधिकार में प्रदाय की गई। वर्ष 1983–84 में प्रतिप्रार्थी क्रमांक 04 से 07 को भी सर्वे नंबर 43 की भूमि का भाग **''व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करने का प्रमाण पत्र''** देकर उनकें नाम पर पृथक–पृथक 04–04 एकड़ भूमि, भूमिस्वामी अधिकार में दी गई। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर यह भूमि वर्ष 1983–84 से रिस्पांडेन्ट क्रमांक 04 से 07 के नाम पर भूमिस्वामी अधिकारों के तहत दर्ज रही है।

अविरत..........(3)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 0360/2019/भू0रा0/इंदौर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-3-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 दिवेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन तथा संहिता की धारा 48 के आवेदन पर सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 0185/अपील/2018-19 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-2-19 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । चूंकि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण को ग्राह्य किया जाकर अभिलेख बुलाने के आदेश दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य प्रथम- दृष्टया प्रकरण में नहीं है । परंतु जहां तक स्थगन का प्रश्न हैं प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात यह पाया जाता है कि सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है । अत: न्यायहित में कलेक्टर, इंदौर द्वारा प्र0क्र0 19/अ-74/18-19 में पारित आदेश दिनांक 28-2-19 का क्रियान्वयन आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण अपर आयुक्त द्वारा किये जाने अथवा तीन माह जो भी पहले हो तक स्थगित किया जाता है । अपर आयुक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण गुणदोषों पर यथाशीघ्र करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । अध्यक्ष	